पुलिस आदेश संख्या- 193 / 87

पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित वरीय पदाधिकारियों के बीच कार्य वितरण सम्बन्धी पहले निर्गत किये गये सभी आदेश (पुलिस आदेश संख्या 187/86 सहित) रद्द किये जाते हैं क्योंकि महानिरीक्षक (विधि-व्यवस्था) का पद सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है और नया पद आरक्षी महानिरीक्षक (प्रोविजन) को सृजित किया गया है। अगले आदेश तक पदाधिकारियों के बीच कार्य के बंटवारे का विवरण नीचे दिया जा रहा है:-

(1) आरक्षी महानिरीक्षक (प्रोविजन):-

1. क्रय (क्रय समिति के निर्णय के अनुमोदनोपरांत महानिदेशक को लेखा-रेखा में कार्यान्वयन)

2. आपूर्ति (- जिलों एवं इकाईयों में क्रय किये गये सामानों की आपूर्ति)।

3. आर्म्स एवं एम्यूनिशन।

4. अभिशाम।

5. लेखन सामग्री एवं परिपत्र।

आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक (विधि-व्यवस्था) का पदनाम अब आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक (क्यू) होगा और आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक (क्यू०) उपरोक्त सभी कार्यों में महानिरीक्षक (प्रोविजन) को मदद करेंगे।

जबतक आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक (क्यू०) का पदस्थापन नहीं हो जाता, आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक (कार्मिक) अपने कार्यों के अलावे उपरोक्त कार्यों में आरक्षी महानिरीक्षक (प्रोविजन) को मदद करेंगे।

(2) आरक्षी महानिरीक्षक (प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण):-

1. पुलिस रेडियो तथा इस सम्वर्ग के सभी कार्य।

2. टेली-कम्यूनिकेशन का प्रशासन तथा उसके स्थापना का कार्य।

3. आधुनिकीकरण योजना।

4. पुलिस विभाग के सभी सम्वर्ग (IPS और SC को छोड़कर) के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था।

5. भवन से सम्बन्धित सभी कार्य।

6. कम्प्यूटर से सम्बन्धित कार्य।

उप-महानिरीक्षक, किन्तु एवं आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक किन्तु उपरोक्त कार्यों में आरक्षी महानिरीक्षक प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण को मदद करेंगे एवं उप महानिरीक्षक एवं ~~xxxxx~~ महानिरीक्षक के सहायक के बीच कार्यों का बटवारा महानिरीक्षक, प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण द्वारा किया जायेगा ।

(3) आरक्षी महानिरीक्षक (कार्मिक):—

1. पीटीसी एटीसी एसटीसी से सम्बन्धित सभी मामले (प्रशिक्षण एवं आरोप सहित) ।

(4) उप-महानिरीक्षक (कार्मिक) :--

1. सभी सम्वर्गों (पीटीसी एटीसी एसटीसी को छोड़कर) के कार्मिकों से सम्बन्धित मामलें ।

आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक (कार्मिक) एवं ~~xxxx~~ के सहायक आरक्षी महानिरीक्षक/(कल्याण) इनके कार्यों में मदत करेंगे।

(5) आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक(कार्मिक):-

1. सभी सम्वर्ग (पीटीसी एटीसी एसटीसी को छोड़कर) से सम्बन्धित मामलें ।
2. आरक्षी निरीक्षक एवं उससे उपर की पंक्ति के पदाधिकारी (पीटीसी एटीसी एसटीसी को छोड़कर) आ के विरुद्ध आरोप ।
3. गोपनीय चरित्र अभ्युक्तियों का रख रखाव (पीटीसी एटीसी एसटीसी को छोड़कर) ।
4: परिवहन तथा उसके सम्वर्ग के मामलें ।
5. आर्मरर सम्वर्ग ।

(6) आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण):-

1. कल्याण सम्बन्धी सभी मामलें । अनुकम्पा/अनुदान/ग्रुप इन्श्योरेन्स/पुलिस सहायता एवं कल्याण से सम्बन्धित सभी कार्य।
2. विभाग के सभी सेवा संघों के मामलें ।
3. पुलिस सभा /सेमिनार तथा पुलिस कान्फ्रेंस ।
4. क्रीड़ा तथा खेल कूद प्रतियोगिता ।
5. सैनिकों का कल्याण ।

6. अवर निरीक्षक तथा उससे नीचे की पंक्ति के कर्मियों के अपील/मेमोरियल एवं आरोप सम्बन्धी मामलें।
7. विभाग संस्थापन सम्बन्धी कार्य।
8. नियम, कानून विधायक मामलें तथा
9. पेंशन एवं भविष्य निधि।
10. पुलिस अस्पताल तथा उसका सम्वर्ग।
11. वेतन पुनरीक्षण सम्बन्धी कार्य।

§7§ उप-महानिरीक्षक §प्रशासन§ :--

1. विधि-व्यवस्था।
2. पुलिस मुख्यालय की स्थापना एवं अनुशासनिक मामलें।

आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक §प्रशासन§ एवं आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक §निरीक्षण§ उप-महानिरीक्षक §प्रशासन§ की मदद करेंगे।

§8§ आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक §प्रशासन§ :--

1. बजट एवं वित्त।
2. लेखा/अंकेक्षण प्रतिवेदन।
3. बल की प्रतिनियुक्ति।
4. गार्डस तथा स्कोर्टस।
5. पदों का सृजन एवं प्रतिधारण।
6. वित्त आयोग संबंधी मामले।
7. चुनाव संबंधी कार्य।
8. ग्रामीण पुलिस।
9. अनुसचिवीय संवर्ग § जिला पुलिस सहित §।
10. पुलिस मुख्यालय का रक्षित कार्यालय एवं स्थापना संबंधित कार्य।

§9§ आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक §निरीक्षण§ :--

1. निरीक्षण टिप्पणी तथा उसका कार्यान्वयन।
2. कोर्ट सम्बन्धी सभी कार्य तथा विधि कोषांग/सम्मन तथा वारन्ट तामिला।
3. अभियोजन संबंधी विशिष्ट कार्य।
4. विधि-व्यवस्था संबंधी सभी मामले §हरिजन/आदिवासी/अल्पसंख्यक, , श्रम, छात्र, कर्मचारी, भू-विवाद, साम्प्रदायिक पुलिस गोली कांड सहित §।

5. गोपनीय प्रतिवेदन।
6. विधि विज्ञान प्रयोगशाला/फोटो ब्यरो/पुलिस लेबोरेटरी/फिंगर प्रिन्ट ब्यरो/कुत्ता दस्ता संबंधी संबंधी सभी कार्य ।
7. मासिक प्रगतिप्रतिवेदन ।
8. प्रेस से संबंधित सभी मामले ।

उप-महानिरीक्षक (कार्मिक) एवं उप-महानिरीक्षक (प्रशासन) महानिरीक्षक (कार्मिक) से सामान्य नियंत्रण एवं मार्ग दर्शन में कार्य करेंगे एवं महत्वपूर्ण विषयों पर महानिदेशक का आदेश महानिरीक्षक (कार्मिक) के माध्यम से प्राप्त करेंगे ।

(2) जहाँतक महानिरीक्षक, विशेष शाखा एवं महानिरीक्षक अपराध शाखा अनुसंधान विभाग के कार्यों का सम्बन्ध है, उनके कार्य एवं दायित्व वही रहेंगे जो पुलिस आदेश संख्या 187/86 के पहले थे ।

3. नक्सल संबंधी सभी मामले अब उप-महानिरीक्षक विशेष कार्य द्वारा महानिरीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग की देख-रेख में निष्पादित किये जायेंगे ।

4. पुलिस आदेश संख्या 187/86 के द्वारा अपराध अनुसंधान विभाग के अधीन जो भ्रष्टाचार निरोध कोषांग कायम किया गया है वह काम करता रहेगा एवं पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों की जांच पड़ताल महानिदेशक के आदेशानुसार इस कोषांग द्वारा की जायगी ।

8/8/1987

(सत्य नारायण राय)
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना ।

ज्ञाप संख्या ----3411---------/

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार, पटना, दिनांक 10 अगस्त, 1987.

प्रतिलिपि:--

1. सभी आरक्षी अधीक्षक, रेलवे सहित।
2. सभी समादेष्टा
3. सभी आरक्षी उप-महानिरीक्षक, रेलवे /सैन्य पुलिस सहित
4. सभी क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक